

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

कार्यालय तहसीलदार इन्द्रगढ़, जिला बून्दी (राज०)

क्रमांक :-

1834
28/6/10

दिनांक



जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आविनाश शीवा
सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री राजेश चन्द शीवा
गांव/नगर रवाकर जिला/डिविजन इं.डी. 21/100 का है, जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है :-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- ✓ संविधान (अनुसूचित जर्मिन जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) संघ राज्य आदेश, 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1951, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम, 1971, और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किए गये अनुसार।
- संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- संविधान (दादर तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमती/कुमारी आविनाश शीवा और/अथवा उसका परिवार रवाकर गांव/नगर इं.डी. 21/100 जिला/डिविजन इं.डी. 21/100 राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

दिनांक 28/6/10

ह० तहसीलदार
इन्द्रगढ़ (मोहर)
इन्द्रगढ़, जिला बून्दी (राज०)